क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 9 | मई 1-15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-8

मई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग दिवस ज़िंदाबाद!
पूंजीवादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ संघर्ष को आगे बढ़ाएं!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का आह्वान, 1 मई, 2023

मज़दूर साथियों,

मई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग दिवस के अवसर पर, कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी सभी देशों के मज़दूरों को सलाम करती है! हम उन सभी को सलाम करते हैं, जो बड़ी मुश्किल से हासिल किये गए अपने अधिकारों और जायज़ मांगों पर पूंजीपति वर्ग की सरकारों के क्रूर हमले के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं।

विश्व पूंजीवादी व्यवस्था बहुत ही गहरे संकट में फंसी हुई है। 2023 में यूरोप और उत्तरी अमरीका की अर्थव्यवस्थाओं के लिए शून्य वृद्धि का पूर्वानुमान किया जा रहा है।

इजारेदार पूंजीपति और उनकी सेवा करने वाली सरकारें आर्थिक संकट के बावजूद अधिकतम मुनाफ़ा हड़पने के उन्माद में, एक के बाद एक जन-विरोधी क़दम उठाती जा रही हैं। वे सामाजिक खर्च में कटौती कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी जन-सेवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। सार्वजनिक संसाधनों और आवश्यक सेवाओं को निजी पूंजीवादी कंपनियों के हवाले कर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें अधिकतम पूंजीवादी मुनाफ़े के उद्देश्य से चलाया जा सके। ईंधन, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले दो दशकों में मज़दूरों के असली वेतन लगातार गिरते रहे हैं। कई दशकों के संघर्ष से जीते गए अधिकारों, जैसे कि पेंशन और तरह-तरह की सामाजिक सुरक्षाओं पर तीव्र हमले हो रहे हैं। 8 घंटे काम के दिन के अधिकार का खुलेआम हनन किया जा रहा है। अनेक मज़दूरों को 12 से 16 घंटे प्रतिदिन काम करने को मजबूर किया जाता है।

पूंजीवाद समाज को एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत की ओर ले जा रहा है। अपने वर्तमान इजारेदार साम्राज्यवादी चरण में पूंजीवाद का मौलिक क़ानून, देश की बहुसंख्यक आबादी के शोषण, ग़रीबी और तबाही के ज़रिये, अन्य देशों, खासकर कम विकसित देशों, के लोगों की गुलामी और लूट के ज़रिये, जंग तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण के ज़रिये, अधिकतम पूंजीवादी मुनाफ़े प्राप्त करना है।

मज़दूरों की एकता को तोड़ने के लिए पूंजीवादी देशों में हुक्मरान वर्ग जातिवाद, साम्प्रदायिकता, प्रवासियों पर हमले, आदि के परखे हुए हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश राज्य ने प्रवासी मज़दूरों के ख़िलाफ़ एक बेहद कठोर क़ानून पारित किया है। अमरीका और कई यूरोपीय देशों में नस्लवादी हमले फैल रहे हैं। हिन्दोस्तान में हुक्मरान वर्ग बड़े सुनियोजित तरीक़े से, धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटता जा रहा है।

अमरीकी साम्राज्यवाद पूरी दुनिया पर अपना निरंकुश वर्चस्व जमाने के लिए, बेहद हमलावर रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उसने एशिया और अफ्रीका के कई देशों में गृहयुद्ध छेड़ दिया है। उसने अपने नाटो सहयोगियों को यूक्रेन पर, रूस के साथ लड़ने के लिए लामबंध किया है। इस जंग का उद्देश्य रूस को घेरना और नष्ट करना तथा जर्मनी को कमज़ोर करना है। अन्य साम्राज्यवादी ताक़तों के साथ मिलीभगत और टकराव, दोनों के ज़रिये, वह अफ्रीका को बेरहमी से लूट रहा है। एशिया में, अमरीकी साम्राज्यवाद चीन और उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ लगातार उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। उसने जापान के सैन्यीकरण को प्रोत्साहन दिया है। वह चीन को घेरने और एशिया पर हावी होने के इरादे से, एक एशियाई नाटो का निर्माण कर रहा है। संक्षेप में, अमरीकी साम्राज्यवादी मानवता को एक नए विश्व युद्ध में घसीटने की धमकी दे रहे हैं।

हमलावर अमरीकी साम्राज्यवादी अभियान का यूरोप के साथ-साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के लोग भी विरोध कर रहे हैं। कई यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां

शेष पृष्ठ 2 पर

काम के दिन को 12 घंटे करने के प्रस्ताव का भारी विरोध :

काम के घंटों को बढ़ाने वाले संशोधन पर तमिलनाडु सरकार रोक लगाने के लिए मजबूर हुई

24 अप्रैल को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कारखाना अधिनियम (1948) में किये गये संशोधन को लागू करने पर रोक लगाने के अपनी सरकार के फ़ैसले की घोषणा की। इस संशोधन के अनुसार, काम करने की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जायेगा। 21 अप्रैल को राज्य विधानसभा में इस विधेयक को पारित किया गया था, जबकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध करने के लिए विधानसभा से वॉकआउट किया था।

तमिलनाडु राज्य की सभी मज़दूर यूनियनों ने इस संशोधन का विरोध किया और संशोधन को वापस लेने की मांग करते हुए, सामूहिक रूप से लामबंध होकर विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की। मज़दूर वर्ग की इस जुझारू प्रतिक्रिया ने संशोधन को लागू करने पर रोक लगाने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया है।

डी.एम.के. से जुड़े लेबर प्रोग्रेसिव फ्रंट (एल.पी.एफ.) सहित प्रमुख ट्रेड यूनियनों

के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य के श्रममंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ आधिकारिक बातचीत के दौरान संशोधन का विरोध करने के तुरंत बाद यह घोषणा की गई कि संशोधन पर रोक लगाई जायेगी। द्रविड़ कजगम, कांग्रेस, एम.डी.एम.के., भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वी.सी.के., मुस्लिम लीग, मनिथनेय मक्कल कच्ची और तमिलगा वजवुरिमई कच्ची सहित राज्य की कई राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने भी एक संयुक्त ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अपील की कि वे इस संशोधन वापस लें।

कारखाना (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2023

यह संशोधन, काम के घंटे और काम करने की परिस्थितियों से संबंधित क़ानून के मौजूदा प्रावधानों को ख़त्म करने की

शेष पृष्ठ 8 पर

अंदर पढ़ें

- मई दिवस की शुरुआत 3
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 5
- केरल में बी.एस.एन.एल. के ठेका मज़दूर भूख हड़ताल पर 5
- मज़दूरों ने पूरे ब्रिटेन में अपने संघर्ष और तेज़ किये 6
- जर्मनी के मज़दूरों की हड़तालें 7
- पेंशन सुधारों का फ्रांस के मज़दूरों ने विरोध किया 7

मई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग दिवस ज़िंदाबाद!

पृष्ठ 1 का शेष

लोग यह मांग कर रहे हैं कि उनके देश को जंगफरोश नाटो गठबंधन से बाहर निकलना चाहिए। जंग और अपनी रोज़ी–रोटी व अधिकारों पर हमलों के विरोध में, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूनान, इटली और यूरोप के अन्य देशों में बड़ी संख्या में मज़दूर सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे लोगों में रेल कर्मचारी, विमान कर्मचारी, सड़क परिवहन कर्मचारी, डाक कर्मचारी, डॉक्टर और नर्स, स्कूल शिक्षक, औद्योगिक कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। यूरोप में पिछले 30 वर्षों में, हड़तालों में मज़दूरों की इतनी बड़ी भागीदारी नहीं देखी गयी है।

अमरीका और अन्य पूंजीवादी देशों में भी बड़े हड़ताल संघर्ष हो रहे हैं। जापानी और दक्षिण कोरियाई मज़दूर सैन्यीकरण और जंगफरोशी के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

दुनियाभर में, मज़दूर अपनी रोज़ी–रोटी और पूंजीवादी सरकारों द्वारा अपने अधिकारों पर किये जा रहे बर्बर हमले का विरोध कर रहे हैं। वे बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वे पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पर की गई कटौती को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे निजीकरण और नौकरियों में कटौती का विरोध कर रहे हैं। वे प्रवासी मज़दूरों पर हमला करने वाले नस्लवादी क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं।

हिन्दोस्तान में मज़दूर अपने अधिकारों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष कर रहे हैं। मज़दूर उन क़ानूनों को रद्द करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो अपनी पसंद की यूनियन बनाने के उनके अधिकार पर हमला करते हैं। वे सार्वजनिक संसाधनों और आवश्यक सेवाओं के निजीकरण के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। वे बढ़ती ठेका मज़दूरी का विरोध कर रहे हैं, पक्की नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी पेंशन में कटौती का विरोध कर रहे हैं और खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग, आईटी सेवाओं, चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में मज़दूर छंटनी और तालाबंदी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। आंगनवाड़ी और आशा मज़दूर सुनिश्चित रोज़गार के साथ–साथ, मज़दूर बतौर अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। गिग वर्कर्स मज़दूर बतौर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं।

"मेक इन इंडिया" के बैनर तले, हुक्मरान पूंजीपति वर्ग हमारे देश को साम्राज्यवादियों द्वारा पूंजी निवेश की पसंदीदा जगह बनाना चाहता है। टाटा, अंबानी, बिड़ला, अडानी और अन्य हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपति अपने बाज़ारों और प्रभाव क्षेत्रों का

मज़दूर एकता लहर
(इंटरनेट संस्करण)
हिन्दी : http://www.hindi.cgpi.org
अंग्रेजी : http://www.cgpi.org
पंजाबी : http://www.punjabi.cgpi.org
मराठी : http://www.marathi.cgpi.org
तामिल : http://www.tamil.cgpi.org
ईमेल : mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

मई दिवस की रैली (दिल्ली, 2016)

विस्तार करने के लिए अमरीका और रूस के बीच तथा अमरीका और चीन के बीच के अंतर्विरोधों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हिन्दोस्तानी सरकार द्वारा अपनाए जा रहे रास्ते पर चलकर, न केवल मज़दूरों और किसानों का शोषण तेज़ हो रहा है। इससे इस इलाके में प्रतिक्रियावादी युद्ध में हिन्दोस्तानी लोगों के फंसने का ख़तरा बढ़ रहा है।

मज़दूर साथियों,

पूंजीवाद समाज को एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत की ओर ले जा रहा है। अपने वर्तमान इजारेदार साम्राज्यवादी चरण में पूंजीवाद का मौलिक क़ानून, देश की बहुसंख्यक आबादी के शोषण, ग़रीबी और तबाही के ज़रिये, अन्य देशों, खासकर कम विकसित देशों के लोगों की गुलामी और लूट के ज़रिये, जंग तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण के ज़रिये, अधिकतम पूंजीवादी मुनाफ़े प्राप्त करना है।

पूंजीवाद का एक विकल्प है। वह वैज्ञानिक समाजवाद है। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना पूरी तरह से मुमकिन है जिसमें पूरे समाज की लगातार बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों की ज़्यादा से ज़्यादा हद तक पूर्ती को सुनिश्चित करना ही अर्थव्यवस्था की दिशा होगी।

पूंजीवाद का एक विकल्प है। वह वैज्ञानिक समाजवाद है।

एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना पूरी तरह से मुमकिन है जिसमें पूरे समाज की लगातार बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों की ज़्यादा से ज़्यादा हद तक पूर्ती को सुनिश्चित करना ही अर्थव्यवस्था की दिशा होगी।

नवंबर 1917 में रूस में हुयी महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति के बाद, 20वीं सदी में समाजवादी व्यवस्था का जन्म हुआ और कई दशकों तक उसका विकास हुआ। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, नए–नए आज़ाद हुए देशों के लोग समाजवादी व्यवस्था से प्रेरित हुए थे, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था ने पूंजीवादी व्यवस्था की तुलना में अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी थी। यूरोप, एशिया और लैटिन अमरीका के कई राष्ट्र और लोग समाजवाद के निर्माण की राह पर चल पड़े थे।

अमरीकी सरमायदारों की अगुवाई में साम्राज्यवादियों ने समाजवाद को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सैनिक तरीक़े नाक़ामयाब हुए, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टियों के अन्दर अपने एजेंटों को पाल–पोस कर, अंदरूनी विनाश के तरीक़ों का सहारा लिया।

1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, साम्राज्यवादी पूंजीपतियों ने घोषणा कर दी थी कि समाजवाद ख़त्म हो चुका है और पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इस अमानवीय व्यवस्था का विकल्प तलाशने की लोगों की ख़्वाहिश को साम्राज्यवादी नहीं मिटा पाए हैं।

पिछले 32 वर्षों में बार–बार इस बात की पुष्टि हुयी है कि पूंजीवाद मानव जाति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विपत्तियां ही पैदा कर सकता है। मेहनतकश बहुसंख्यकों और शोषक अल्पसंख्यकों की हालतों के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है। पूंजीपतियों का जंग रहित दुनिया का वादा झूठा साबित हुआ है। तथाकथित जन–कल्याण की सरकारी नीतियों के ज़रिये पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर मज़दूरों की भलाई सुनिश्चित करने की संभावना के बारे में सभी भ्रम चकनाचूर हो गए हैं।

दुनिया के मज़दूर वर्ग और उत्पीड़ित लोग एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो कुछ व्यक्तियों द्वारा दूसरों के शोषण से मुक्त हो और कुछ राष्ट्रों द्वारा दूसरों के दमन से मुक्त हो, एक ऐसी दुनिया जो साम्राज्यवादी जंग से मुक्त हो। मज़दूर वर्ग को सरमायदारों के समाज–विरोधी हमले के ख़िलाफ़ संघर्ष को इसके तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाना होगा – क्रांति के ज़रिये पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना होगा और समाजवाद का निर्माण करना होगा। यही आज वक्त का बुलावा है।

मज़दूर साथियों,

हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग और उसकी सभी पार्टियां बार–बार हमें कहती रहती हैं कि संसदीय लोकतंत्र की मौजूदा व्यवस्था से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। वे दावा करती हैं कि वर्तमान व्यवस्था सभी वर्गों के लिए हितकारी है। वे इस वास्तविकता को छिपाती हैं कि यह वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ज़रिये सरमायदार वर्ग मज़दूरों और किसानों पर अपनी हुक्मशाही को लागू करता है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1951 में यह माना था कि उपनिवेशवादी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद स्थापित किया गया राज्य सरमायदारों की हुकूमत का राज्य था। परन्तु उसके बाद के वर्षों में कम्युनिस्ट आंदोलन उस समझ पर नहीं टिका रहा। कम्युनिस्ट आन्दोलन इस भ्रम का शिकार हो गया कि संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ज़रिये मज़दूर वर्ग समाजवाद के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। इससे सरमायादारों को इस व्यवस्था के बारे में भ्रमों को जीवित रखने में मदद मिली है।

वर्तमान संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो इस मौलिक पूर्वधारणा पर आधारित है कि हम मज़दूर और किसान खुद अपना शासन करने के क़ाबिल नहीं हैं, इसलिए हमें किसी ऐसी ताक़त की ज़रूरत है जो हमसे ऊपर हो और हमारे ऊपर शासन कर रही हो।

मौजूदा व्यवस्था हमें फ़ैसले लेने की शक्ति से वंचित करती है। फ़ैसले लेने की शक्ति संसद में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा गठित मंत्रिमंडल के हाथों में केंद्रित है। सरमायदार वर्ग यह सुनिश्चित करता है कि केवल उन्हीं पार्टियों को सरकार बनाने की इजाज़त दी जाए जो उसके एजेंडे को वफ़ादारी से लागू करेंगी। चुनाव के समय वह ऐसी पार्टियों में से उस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करता है, जो मेहनतकश जनता को सबसे बेहतरीन तरीक़े से बेवकूफ़ बना सकती है। सरमायदारों की हुकूमत को वैधता दिलाने के लिए चुनावों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लोकतंत्र है।

सरमायदारी लोकतंत्र से बेहतर एक विकल्प है, जो श्रमजीवी लोकतंत्र है। श्रमजीवी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें हम, मजदूर और किसान, खुद अपना शासन करेंगे। हम उन लोगों का चयन और चुनाव कर पाएंगे जिन पर हमें भरोसा है। हम उन लोगों पर नियंत्रण करने में सक्षम होंगे जिन्हें हम चुनते हैं, और जब भी वे हमारे हितों के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो उन्हें वापस बुलाने में सक्षम होंगे। हमें यह मांग करनी होगी कि हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर ऐसी व्यवस्था के लिए संघर्ष करना चाहिए।

मज़दूर साथियों,

तमाम तथ्य बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार मज़दूरों और किसानों की रोज़ी–रोटी और अधिकारों को कुचल कर, हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है। जीवन के अनुभव ने यह दिखाया है कि विभिन्न राज्यों में सरकारें चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां भी पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका एक हालिया उदाहरण कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य विधानसभाओं द्वारा फैक्ट्रियों में काम के दिन की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने के लिए पारित क़ानून हैं।

जैसे–जैसे हम 2024 के लोकसभा चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे–वैसे हुक्मरान वर्ग अपने प्रचार को तेज़ कर रहा है। इसका उद्देश्य हमें सरमायदारों की एक या दूसरी पार्टियों के पीछे लामबंध करना है। हमें इन फरेबी विकल्पों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हिन्दोस्तान के नव–निर्माण, जो एकमात्र वास्तविक विकल्प है, के अपने कार्यक्रम के इर्द–गिर्द अपनी जुझारू एकता को और मज़बूत करने की आवश्यकता है। हमारा कार्यक्रम मज़दूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करना है और पूंजीवादी लालच को पूरा करने के बजाय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में अर्थव्यवस्था को नया मोड़ देना है।

हमारा उद्देश्य जायज़ है। हम बहुसंख्यक लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। हम अवश्य जीतेंगे!

इंक़लाब ज़िंदाबाद!

मई दिवस की शुरूआत

मई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस, पहली मई, 1890 को सबसे पहली बार, पूरे यूरोप और उत्तरी अमरीका में जुलूसों और प्रदर्शनों के साथ मनाया गया था।

मई दिवस की शुरुआत दैनिक काम के घंटों को कम करने के संघर्ष के साथ नज़दीकी से जुड़ी हुई है। प्रतिदिन काम के घंटों को कम करना – वह मज़दूर वर्ग के लिए अत्यधिक राजनीतिक महत्व की मांग थी। वह संघर्ष ब्रिटेन, अमरीका और सभी यूरोपीय देशों में लगभग उसी समय शुरू हो गया था जब कारख़ानों में काम का आरम्भ हुआ था। मज़दूर 14–16–18 घंटे के लंबे काम के दिन का विरोध कर रहे थे। 1820 और 1830 के दशकों में काम के घंटों को कम करने की मांग को लेकर बहुत सारी हड़तालें हुयी थीं।

हालांकि वेतन को बढ़ाने की मांग हड़तालों की मुख्य मांग थी, लेकिन जब–जब मज़दूर अपने पूंजीवादी मालिकों के सामने अपनी मांगों को पेश करते थे, तब–तब कम घंटों के काम के दिन की मांग और संगठित होने के अधिकार की मांग को हमेशा आगे रखा जाता था।

इंग्लैंड में, काम के दिन की लंबाई को लेकर मज़दूरों और पूंजीपतियों के बीच घमासान संघर्ष चलता रहा। 1847 में ब्रिटिश संसद ने फैक्ट्रिज़ एक्ट पास किया था, जिसके अनुसार काम के दिन को दस घंटे तक सीमित किया गया था। वह मज़दूर वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी।

कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वर्किंग मेन्स एसोसिएशन ने 1866 में जिनेवा में हुए अपने महाअधिवेशन में, सभी देशों के मज़दूरों को आठ घंटे के काम के दिन के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया था।

20 अगस्त, 1866 को अमरीका में 50 से अधिक ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने नेशनल लेबर यूनियन का गठन किया था। उसके संस्थापक अधिवेशन में जारी किये गए निम्नलिखित प्रस्ताव में छोटे काम के दिन की मांग को उठाया गया था : "इस देश के मज़दूरों को पूंजीवादी गुलामी से मुक्त करने के लिए इस समय की पहली और बड़ी आवश्यकता एक ऐसा क़ानून पारित करना है, जिसके द्वारा 8 घंटे का काम का दिन अमरीकी संघ में सभी राज्यों में स्थापित हो। जब तक यह गौरवपूर्ण परिणाम हासिल नहीं हो जाता, तब तक हम इस संघर्ष में अपनी पूरी ताक़त डालने का संकल्प लेते हैं।"

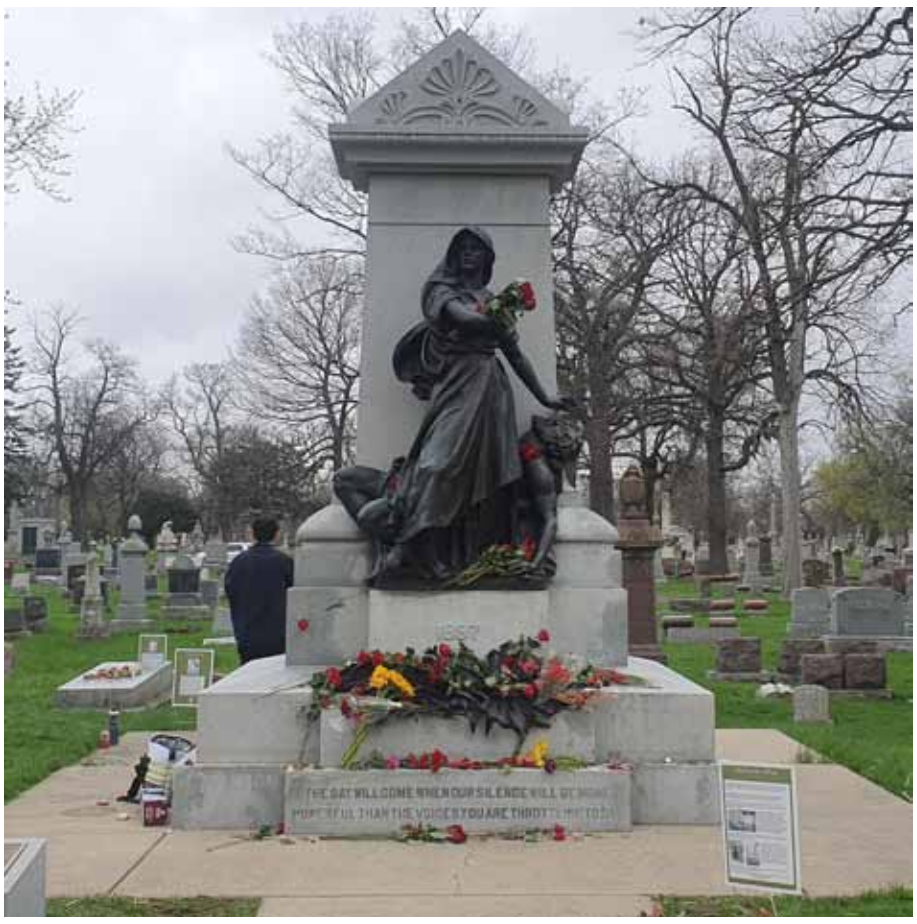

1886 के 8 घंटे के आंदोलन में शहीद हुए मज़दूरों की स्मृति में अमरीका के शिकागो शहर में 1887 में स्थापित की गयी प्रतिमा

1885 में हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या बढ़कर लगभग 700 हो गईं और इसमें शामिल होने वाले मज़दूरों की संख्या बढ़कर 2,50,000 हो गई थी। 1886 में अमरीका में मज़दूरों की हड़तालों की संख्या दुगुनी से अधिक हो गई। इससे मज़दूरों में संघर्ष करने की भावना साफ़–साफ़ नज़र आ रही थी।

"8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम" की मांग को लेकर कई शहरों और विभिन्न व्यवसायों के मज़दूर एकजुट होने लगे।

उन्होंने 1 मई, 1886 को इस मांग को लेकर एक बड़ी हड़ताल करने की तैयारी शुरू कर दी।

हड़ताल का केंद्र शिकागो था, जहां हड़ताल आंदोलन सबसे व्यापक था, लेकिन कई अन्य शहर भी पहली मई के संघर्ष में शामिल थे। न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, वाशिंगटन, मिल्वौकी, सिनसिनाटी, सेंट लुइस, पिट्सबर्ग, डेट्रायट और कई अन्य शहरों में बड़ी संख्या में मज़दूरों ने हड़ताल में भाग लिया था।

अमरीका में 8 घंटे का आंदोलन, जिसके चलते 1 मई, 1886 की हड़ताल हुई थी, वह मज़दूर वर्ग के संघर्षपूर्ण इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। 1 मई, 1886 को, शिकागो में मज़दूर भारी संख्या में इकट्ठे हुए और अपने औजारों को नीचे रख कर, हड़ताल पर चले गए थे। मज़दूर वर्ग के इस बढ़ते आंदोलन से अमरीकी राज्य और पूंजीपति वर्ग बहुत डर गए थे। वे हड़ताली मज़दूरों के जुझारू नेताओं पर हमला करके, पूरे मज़दूर वर्ग आंदोलन को घातक चोट पहुंचाना चाहते थे।

3 मई को, पुलिस ने शिकागो में मैककॉर्मिक रीपर वर्क्स की फैक्ट्री पर हड़ताली मज़दूरों की एक शांतिपूर्ण सभा पर क्रूर हमला किया था, जिसकी वजह से 6 मज़दूरों की मौत हो गई थी। पुलिस के उस बेवजह, बर्बर हमले के विरोध में, मज़दूरों ने 4 मई को हे मार्केट स्क्वायर (चौक) पर एक प्रदर्शन आयोजित किया था। सभा शांतिपूर्ण थी और समाप्त होने वाली थी, जब पुलिस के लिए काम करने वाले खुफियों ने लोगों की भीड़ पर बम फेंका। पुलिस और उनके खुफियों द्वारा सुनियोजित रूप से फैलाई गई उस अराजकता और हिंसा में कई लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए।

उसके बाद, अमरीका में पूंजीवादी मीडिया ने बड़े पैमाने पर मज़दूर–विरोधी प्रचार फैलाया, मज़दूरों को अराजकतावादियों और अपराधियों के रूप में दर्शाया और उन्हें फांसी देने की मांग उठाई। हड़ताली

शेष अगले पृष्ठ पर

पिछले वर्षों में मई दिवस के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनों की कुछ तस्वीरें

मई दिवस का संयुक्त जुलूस (दिल्ली, 2016)

एयर इंडिया के मज़दूरों का मई दिवस पर प्रदर्शन (चेन्नई, 2018)

मई दिवस की संयुक्त जनसभा (दिल्ली, 2022)

मई दिवस की रैली (चेन्नई, 2018)

मई दिवस की शुरूआत

पृष्ठ 3 का शेष

मज़दूरों के सात नेताओं को मौत की सज़ा सुनाई गई। उनमें से चार को फांसी दे दी गई। बाद में पता चला कि पूरा मुक़दमा फ़रेबी था। इस तरह अमरीका में पूंजीपति वर्ग मज़दूरों पर क्रूर हमले करके, मज़दूर वर्ग के अधिकारों के लिए आंदोलन को कुछ समय के लिए दबाने में क़ामयाब हुए थे। लेकिन पूंजीपति वर्ग मज़दूरों की संघर्ष की भावना को मिटाने में नाक़ामयाब रहे। 1 मई, 1890 को पूरे अमरीका में मज़दूरों ने रैलियां आयोजित करने का फ़ैसला किया था।

14 जुलाई, 1889 को, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विद्रोहियों द्वारा बैस्टील (राजशाही हुकूमत का केंद्र) के गिराए जाने की सौवीं सालगिरह पर, कई देशों के संगठित क्रांतिकारी श्रमजीवी आंदोलनों के नेता पेरिस में एकत्रित हुए, ताकि एक बार फिर मज़दूरों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जा सके। द्वितीय इंटरनेशनल के रूप में स्थापित होने वाले उस संगठन को बनाने की बैठक में इकट्ठे हुए लोगों ने अमरीकी प्रतिनिधियों से 1884–1886 के दौरान 8 घंटे के दिन के लिए अमरीका में हुए संघर्ष और हाल ही में आंदोलन में फिर से जोश उभर कर आने के बारे में सुना। अमरीकी मज़दूरों के उदाहरण से प्रेरित होकर, पेरिस महा अधिवेशन ने निम्नलिखित संकल्प अपनाया :

"यह महा अधिवेशन एक महान अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित करने का फ़ैसला करता है, ताकि सभी देशों और सभी शहरों में एक नियत दिन पर मेहनतकश जनता राज्य के अधिकारियों से काम के दिन को क़ानूनी रूप से घटाकर आठ घंटे करने की मांग करे और पेरिस महा अधिवेशन में लिए गए अन्य फ़ैसलों की भी मांग करे। चूंकि 1 मई, 1890 को अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर द्वारा सेंट लुइस में, दिसंबर 1888 में हुए अपने सम्मेलन में इसी तरह के प्रदर्शन को करने का फ़ैसला लिया जा चुका है, इसलिए उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए स्वीकार किया जाता है। विभिन्न देशों के मज़दूरों को अपने–अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार इस प्रदर्शन का आयोजन करना चाहिए।"

1915 में अमरीका के शिकागो शहर में मई दिवस का प्रदर्शन

"जब मैं इन पंक्तियों को लिख रहा हूं, उस समय यूरोप और अमरीका का श्रमजीवी वर्ग अपनी लड़ाकू ताक़तों की समीक्षा कर रहा है, जो पहली बार एक सेना के रूप में, एक झंडे के तले, एक तात्कालिक उद्देश्य के लिए लामबंध हुए हैं। वह उद्देश्य है क़ानूनन आठ घंटे के काम के दिन की स्थापना, जैसा कि 1866 में इंटरनेशनल के जेनेवा महा अधिवेशन द्वारा और फिर 1889 में पेरिस वर्कर्स कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया था। और आज का यह नज़ारा सभी देशों के पूंजीपतियों और जमींदारों की आंखें खोल देगा, उन्हें दिखा देगा कि आज सभी देशों के मज़दूर वास्तव में एकजुट हैं।"

फ्रेडरिक एंगेल्स, 1 मई, 1890

1917 में रूस के पेत्रोग्राद में मई दिवस का प्रदर्शन

इसके साथ, 1 मई को मई दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुयी।

1 मई, 1890 को एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो के चौथे जर्मन संस्करण की प्रस्तावना में, अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संगठनों के इतिहास की समीक्षा करते हुए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस के महत्व पर ध्यान आकर्षित किया था :

"जब मैं इन पंक्तियों को लिख रहा हूं, उस समय यूरोप और अमरीका का श्रमजीवी वर्ग अपनी लड़ाकू ताक़तों की समीक्षा कर रहा है, जो पहली बार एक सेना के रूप में, एक झंडे के तले, एक तात्कालिक उद्देश्य के लिए लामबंध हुए हैं। वह उद्देश्य है क़ानूनन आठ घंटे के काम के दिन की स्थापना, जैसा कि 1866 में इंटरनेशनल के जेनेवा महा अधिवेशन द्वारा और फिर 1889 में पेरिस वर्कर्स कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया था। और आज का यह नज़ारा सभी देशों के पूंजीपतियों और जमींदारों की आंखें खोल देगा, उन्हें दिखा देगा कि आज सभी देशों के मज़दूर वास्तव में एकजुट हैं।

काश मार्क्स अभी भी मेरे साथ होते और इसे अपनी आंखों से देख पाते!"

उस समय से, दुनियाभर के मज़दूरों ने 1 मई को पूंजीवाद के ख़िलाफ़ और सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए सांझे संघर्ष में सभी देशों के मज़दूरों के आपसी भाईचारे के दिन के रूप में मनाया है।

http://hindi.cgpi.org/23373

हिन्दोस्तान में प्रथम मई दिवस (1923) की शताब्दी

चेन्नई के मरीना बीच पर लेबर स्टैचू

हिन्दोस्तान में मई दिवस, हर साल 1 मई को दुनियाभर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग दिवस समारोह का एक अभिन्न हिस्सा रहा है।

हिन्दोस्तान में पहला मई दिवस समारोह 1 मई, 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई (भूतपूर्व मद्रास) में आयोजित किया गया था। वह पहली बार था जब हिन्दोस्तान में लाल झंडा फहराया गया था। पार्टी के नेता कॉमरेड सिंगारवेलु ने 1923 में दो स्थानों पर मई दिवस मनाने की व्यवस्था की थी। एक सभा मद्रास उच्च न्यायालय के सामने समुद्र तट पर हुई; दूसरी सभा ट्रिप्लिकेन समुद्र तट पर आयोजित की गई थी। चेन्नई के मरीना बीच पर 'श्रम की विजय' की मूर्ति देश के पहले मई दिवस समारोह का प्रतीक है।

चेन्नई में आयोजित मई दिवस समारोह मज़दूर वर्ग में समाजवादी चेतना की जागृति को दर्शाता है। राजद्रोह के आरोप में लोकमान्य तिलक की गिरफ़्तारी के बाद हुए महान हड़ताल आंदोलन के ज़रिये, हिन्दोस्तान के मज़दूर वर्ग ने उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष में अपनी क्रांतिकारी क्षमता को इससे पहले ही दर्शाया था।

प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद, 1918–1921 की अवधि में हिन्दोस्तान में व्यापक हड़ताल आंदोलन हुए। 1918 के अंत में, बेहतर वेतन और काम करने व रहने की हालतों के लिए मज़दूरों की हड़ताल की वजह से, पूरे मुंबई का सूती मिल उद्योग ठप्प हो गया था। पूरे हिन्दोस्तान में रेल मज़दूरों और कपड़ा मिल मज़दूरों ने फासीवादी रौलेट एक्ट के ख़िलाफ़ शक्तिशाली संघर्षों में अगुवा भूमिका निभाई थी। नवंबर 1921 में, प्रिंस ऑफ वेल्स की हिन्दोस्तान यात्रा के विरोध में लाखों–लाखों मज़दूरों ने देशव्यापी आम हड़ताल में भाग लिया था। मुंबई की कपड़ा मिलों के मज़दूरों ने पूरे शहर को ठप्प कर दिया था।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और बाद में ग़दर क्रांतिकारियों की वीरतापूर्ण कृतियां और 1917 में सोवियत संघ में महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय, ये हिन्दोस्तान में उभरते हुए मज़दूर वर्ग आंदोलन के लिए प्रेरणा के स्रोत थे।

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना – इजारेदार पूंजीपतियों की अमीरी को बढ़ाने के लिए जनता के पैसों की लूट

केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के मार्च में तीन क्षेत्रों – मोबाइल उत्पादन व बिजली के पुर्जों, दवा उद्योग (महत्वपूर्ण प्रारंभिक और सक्रिय दवा सामग्रियां) और चिकित्सा उपकरण निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पी.एल.आई.) योजनाएं शुरू कीं। इन क्षेत्रों को चुनने में सरकार का घोषित उद्देश्य था चीन से होने वाले आयात पर से देश की निर्भरता को कम करना। हिन्दोस्तान की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और उसे निर्यात की दिशा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पी.एल.आई. योजनाओं का विस्तार नवंबर 2020 में 13 अन्य क्षेत्रों में किया गया। (विवरण के लिए तालिका देखें)

विनिर्माण क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक पी.एल.आई. योजना चार से छः साल की अवधि के लिए लागू होगी। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण के लिए 4 से 6 प्रतिशत से लेकर, सक्रिय दवा सामग्रियों के लिए 20 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन दिया गया है। यह प्रोत्साहन हर साल बढ़ने वाली बिक्री पर दिया जाता है।

बढ़ी हुई बिक्री की गणना करने के लिए, वर्ष में वास्तविक उत्पादन की तुलना उससे पिछले वर्ष और आधार वर्ष के उत्पादन से की जाती है। इन दोनों गणनाओं में से ज्यादा बढ़ोतरी वाली गणना के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी की 2020–21 में 500 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है और 2021–22 में इसे बढ़ाकर 1,250 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है, तो बढ़ी हुई बिक्री 750 करोड़ रुपये मानी जाएगी। यदि प्रोत्साहन की दर 4 प्रतिशत है, तो उस वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि 30 करोड़ रुपये होगी।

सरकार कंपनियों से पी.एल.आई. योजना के लिये आवेदन आमंत्रित करती है। अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनियां अपने निवेश की योजना, अतिरिक्त उत्पादन, निर्यात और रोज़गार सृजन के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।

2022 के केंद्रीय बजट में पी.एल.आई. योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की गई है!

अधिकांश क्षेत्रों में सबसे बड़ी हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार कंपनियां पी.एल.आई. योजना की लाभार्थी हैं।

पी.एल.आई. योजना में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स उद्योग के लिये कुल प्रावधान लगभग 26,000 करोड़ रुपये है। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स उद्योग सबसे ज्यादा प्रावधानों वाले क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के लाभार्थियों में मारुति सुजुकी (जो बाज़ार में लगभग 45 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है और जो जापानी बहुराष्ट्रीय सुजुकी कंपनी की एक सहायक कंपनी है), हीरो मोटोकॉर्प (दुनिया में दोपहिया वाहनों के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक), टाटा समूह (देश में ट्रकों का सबसे बड़ा उत्पादक), टोयोटा किर्लोस्कर (टोयोटा, यह जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी कार निर्माता है), बॉश (यह जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी दुनिया में सबसे बड़े ऑटो पार्ट्स उत्पादकों में से एक है) और टी.वी.एस. समूह शामिल हैं।

क्षेत्र	कुल प्रोत्साहन प्रावधान करोड़ रूपये	प्रोत्साहन दर प्रतिशत में
ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स	25,938	उपलब्ध नहीं
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स	38,601	4–6
उन्नत बैटरी	18,100	उपलब्ध नहीं
दवाइयां	15,000	3–10
दूरसंचार और नेटवर्किंग के उत्पाद	12,195	4–7
खाद्य पदार्थ	10,900	4–10
कपड़ा उत्पाद	10,683	उपलब्ध नहीं
आई.टी. हार्डवेयर	7,350	1–4
सक्रिय दवा सामग्रियां	6,940	5–20
बिजली से चलने वाले घरेलू सामान	6,238	4–6
स्पेशलिटी स्टील	6,322	4–12
सौर बिजली के पैनल	4,500	उपलब्ध नहीं
चिकित्सा उपकरण	3,420	5

लगभग 40,000 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा पी.एल.आई. प्रावधान मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। सबसे बड़े लाभार्थी विदेशी इजारेदार कंपनियां हैं जैसे कि सैमसंग (कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी, हिन्दोस्तान और दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल विक्रेता), फॉक्सकॉन (ताइवानी बहुराष्ट्रीय कंपनी – दुनिया में एप्पल मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा अनुबंध निर्माता)। नीति आयोग ने गर्व से घोषणा की कि मोबाइल फोन के लिये इस योजना के तहत स्वीकृत फॉक्सकॉन इंडिया 'पहली वैश्विक कंपनी' है! 1 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच एप्पल फोन के निर्माण के लिए इसे 357.17 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली थी।

स्पेशलिटी स्टील के लिए पी.एल.आई. योजना के लाभार्थी हैं, देश के इस्पात उद्योग की इजारेदार कंपनियां – टाटा स्टील, जे.एस.डब्ल्यू. स्टील, आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील और सेल। इसी तरह, खाद्य उत्पादों के लिए पी.एल.आई. योजना की लाभार्थी हैं आई.टी.सी., टाटा कंज्यूमर और मैरिको जैसी इजारेदार कंपनियां, जो पैकेटों में खाद्य पदार्थों की बिक्री करती हैं।

कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के ज़रिए,विशेष रूप से बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ों की रियायतें देने के बाद, उन्हें लाभान्वित करने का एक और उपाय है पी.एल.आई. योजना, जिसका बोझ लोगों पर लादा गया है। अब पूंजीपति, योजनाओं के प्रावधानों में वृद्धि करने और कई अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में इसके विस्तार करने की मांग कर रहे हैं।

'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के नाम पर इजारेदार पूंजीपतियों को अधिकतम मुनाफ़ा सुनिश्चित करने के लिए जनता के पैसों को लूटने के सिवाय, पी.एल.आई. और कुछ नहीं है। ऐसी योजनाओं के तहत सबसे बड़ी इजारेदार कंपनियों के लिये मुनाफ़ों की गारंटी तो है, लेकिन रोज़गार सृजन जैसे घोषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई गारंटी नहीं है – वे नीतिगत उद्देश्य मात्र हैं। हमने बार–बार देखा है कि जनता के पैसे को इजारेदार पूंजीपतियों की जेबों में डालने को 'प्रोत्साहन' कहा जाता है, जबकि मेहनतकश लोगों को दिये जाने वाले पैसों को 'मुफ्त का' बताया जाता है।

पी.एल.आई. योजना दिखाती है कि कैसे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी लालच को पूरा करने की दिशा में चलती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें – निवेश, उत्पादन, निर्यात, रोज़गार, आदि बढ़ाने के लिये अधिकतम पूंजीवादी मुनाफ़े की गारंटी को एक अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाता है। जब तक अर्थव्यवस्था इस दिशा में चलेगी, तब तक अति अमीर और अमीर होते जायेंगे।

http://hindi.cgpi.org/23408

केरल के कोझिकूडु में बी.एस.एन.एल. के ठेका मज़दूर भूख हड़ताल पर

केरल के कोझिकूडु और वायनाड जिलों में बी.एस.एन.एल. (भारत संचार निगम लिमिटेड) के अस्थाई और ठेका मज़दूर 18 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। वे आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वेतन देने में देरी और सामाजिक सुरक्षा के लाभों को देने से इनकार करने का विरोध कर रहे हैं। संघर्षरत मज़दूरों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो कार्यालयों की सफाई और प्रबंधकीय कार्यों में शामिल हैं।

सरकार बी.एस.एन.एल. को बर्बाद करके और दूरसंचार क्षेत्र को निजी इजारेदार पूंजीपतियों के हवाले करने के उपाय कर रही है। इस योजना के हिस्सा बतौर नौकरी के लिए 56 साल अधिकतम आयु सीमा को कम करते हुए, बी.एस.एन.एल. के नियमित मज़दूरों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) को लागू किया गया है। इसके बाद बी.एस.एन.एल. प्रबंधन ने वर्ष 2020 में निजी फ्रेंचाइजियों (बड़ी कंपनी की किसी इकाई का संचालन करने वाली छोटी निजी कंपनी) के ज़रिए काम की आउटसोर्सिंग शुरू की। जिन मज़दूरों ने 20 से 30 साल तक काम किया

था, उन्हें फ्रेंचाइज़ियों ने नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिन मज़दूरों को काम पर रखा गया था, उन्हें आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से भुगतान किए गए वेतन को आउटसोर्सिंग शुरू होने से पहले के मज़दूरों को दिए जाने वाले वेतन से काफी कम कर दिया गया था। मज़दूरों को अब केवल दो–तिहाई या उससे कम वेतन दिया जाता है, जो उन्हें तब मिलता था जब बी.एस.एन.एल. उन्हें सीधे अस्थाई और ठेका मज़दूरों के रूप में नियुक्त करता था।

आंदोलन का नेतृत्व करने वाली यूनियन, बी.एस.एन.एल. कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फेडरेशन (बी.एस.एन.एल.सी.सी.डब्ल्यू.एफ.) केरल ने बताया कि सुरक्षा कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा प्रति माह 13,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो कि पहले बी.एस.एन.एल. द्वारा 19,000 रुपये का भुगतान किया जाता था। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें पहले 15,000 से 19,000 रुपये का भुगतान किया जाता था, अब उन्हें 8,000 रुपये से कम का भुगतान किया जाता है। सफाई मज़दूरों को केवल 2,000 ये 3,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। लिपिक, कंप्यूटर कर्मचारी, केबल रखरखाव और तकनीकी कर्मचारियों सहित अन्य मज़दूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता है।

इसके अलावा, मज़दूरों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) और कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) से वंचित किया जा रहा है, जिसे बी.एस.एन.एल. द्वारा अस्थाई और ठेका मज़दूरों के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सुनिश्चित किया गया था।

मज़दूरों की स्थिति इतनी दयनीय और निराशाजनक है कि पिछले कुछ वर्षों में भुगतान न होने और वेतन भुगतान में देरी के कारण 3 ठेका मज़दूरों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

मज़दूरों ने आरोप लगाया है कि बी.एस.एन.एल. प्रमुख नियोक्ता होकर भी मज़दूरों के वेतनों और लाभों को बहाल करने के लिए कोई क़दम नहीं उठा रहा है।

आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा किये जा रहे सेवा शर्तों के उल्लंघनों को लेकर यूनियन ने बी.एस.एन.एल. अधिकारियों को कई ज्ञापन दिये हैं। हालांकि, उनकी अपील की कोई सुनवाई नहीं हुई है।

ठेका मज़दूरों ने अपनी मांगों के पूरा होने तक भूख हड़ताल को जारी रखने का संकल्प लिया है।

http://hindi.cgpi.org/23404

मज़दूरों ने पूरे ब्रिटेन में अपने संघर्ष और तेज़ किये

ब्रिटेन में सभी क्षेत्रों के मज़दूर बढ़ते शोषण के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को और तेज़ कर रहे हैं। क़ीमतों में भारी वृद्धि और सरकारी खर्च में कटौती को देखते हुए, वे मांग कर रहे हैं कि वेतनों में वृद्धि की जाये और काम करने की बेहतर हालतें मुहैया कराई जायें।

शिक्षक

राष्ट्रीय शिक्षा यूनियन (एनईयू) के बैनर तले संगठित ब्रिटेन में स्कूलों से जुड़े शिक्षकों ने 27 अप्रैल और 2 मई

को हड़ताल पर जाने के अपने फ़ैसले की घोषणा की है। वे अपने वेतन को बढ़वाने और काम के बोझ को कम करने की परिस्थितियां मुहैया कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सरकार ने शिक्षकों को वर्तमान वर्ष के लिए 1,000 पौंड का एकमुश्त भुगतान करने और अगले वर्ष के लिए औसतन 4.5 प्रतिशत वेतन वृद्धि की पेशकश की थी। 1,91,319 सेवारत शिक्षकों में से 98 प्रतिशत ने सरकार के नवीनतम

प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। सरकार की पेशकश को 'अपमानजनक' बताते हुए, शिक्षकों ने घोषणा की है कि वे वेतन में बढ़ोतरी के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे।

स्वास्थ्य–देखभाल करने वाले मज़दूर

यूनाईट यूनियन के बैनर तले संगठित, ब्रिटेन के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल के एक नए दौर की घोषणा की है।

यूनियन ने 19 अप्रैल, 2023 को सरकार के नवीनतम वेतन प्रस्ताव के ख़िलाफ़ अपने असंतोष का हवाला देते हुए, यह ऐलान किया है कि ब्रिटेन के 2,000 एम्बुलेंस कर्मचारी और 1,500 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी मई के दौरान, नए सिरे से हड़ताल करेंगे। उन्होंने 1 मई को मध्य लंदन के कुछ अस्पतालों से वाकआउट करने का ऐलान भी किया है। कई क्षेत्रीय

एंबुलेंस और अस्पताल संगठनों के मज़दूर 2 मई को हड़ताल करने वाले हैं।

रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग (आर.सी.एन.) की नर्सों ने 30 अप्रैल से 48 घंटे के वाक–आउट पर जाने की घोषणा की है। उन्होंने सरकार के नवीनतम वेतन प्रस्ताव को ख़ारिज़ कर दिया है।

जूनियर डॉक्टर

लगभग 47,000 जूनियर डॉक्टरों ने 15 अप्रैल को अपनी चार दिनों की हड़ताल पूरी की। इससे पहले, जूनियर डॉक्टरों ने मार्च में भी हड़ताल की थी, वे मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाये, जिसे सरकार ने 'अवहनीय' घोषित किया है और उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया।

पासपोर्ट कार्यालय के मज़दूर

बेलफास्ट, डरहम, ग्लासगो, लिवरपूल, लंदन, न्यूपोर्ट, पीटरबरो और साउथपोर्ट के पासपोर्ट कार्यालयों के 1000 से अधिक मज़दूर, पांच सप्ताह की अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, जो 5 मई को समाप्त होगी। उन मज़दूरों की यूनियन, पब्लिक एंड कमर्शियल सर्विसेज यूनियन (पी.सी.एस.), वेतन, पेंशन और नौकरी की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से आंदोलन करती आ रही है।

मीडिया से जुड़े मज़दूर

बीबीसी के स्थानीय नेटवर्क के पत्रकारों ने नौकरी में कटौती के मुद्दे को लेकर 5 मई को हड़ताल पर जाने की अपनी योजना की घोषणा की है। यह बताया जा रहा है कि बीबीसी कई स्थानीय रेडियो स्टेशनों को बंद कर रहा है और कई पत्रकारों के नौकरी के अनुबंध को समाप्त कर रहा है।

चालक व वाहन मानक एजेंसी के कर्मचारी

चालक व वाहन मानक एजेंसी (डी.वी.एस.ए.) ड्राइविंग परीक्षक और परीक्षण केंद्र के 1,500 कर्मचारी अप्रैल 2023 में रोलिंग (एक के बाद एक) के आधार पर हड़ताल कर रहे हैं। वे वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वे 17 अप्रैल से हड़ताल पर चले गए हैं और 28 अप्रैल तक इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के विभिन्न हिस्सों में अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे।

लोक सेवा कर्मचारी

सीमा बल एजेंटों सहित पीसीएस यूनियन से जुड़े 1,30,000 सिविल और सार्वजनिक सेवा कर्मचारी 28 अप्रैल को हड़ताल पर करेंगे।

राजमार्ग–यातायात के मज़दूर

क्विंटन, वेस्ट मिडलैंड्स में नेशनल ट्रैफिक ऑपरेशंस सेंटर में काम करने वाले राष्ट्रीय महामार्ग कर्मचारी 3 से 7 अप्रैल तक हड़ताल पर थे। वे 5 से 28 अप्रैल तक

अलग–अलग जगहों पर रोलिंग के आधार पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

रेलवे कर्मचारी

आर.एम.टी. (नेशनल यूनियन ऑफ रेल, मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स) के तहत संगठित रेलवे कर्मचारी, अपने वेतन में वृद्धि के लिए अगले छः महीनों में अपनी हड़ताल

को जारी रखने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वे सरकार के वेतन वृद्धि के नवीनतम प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं।

ब्रिटिश पुस्तकालय और ब्रिटिश संग्रहालय के मज़दूर

ब्रिटिश लाइब्रेरी के कर्मचारी 3 से 16 अप्रैल तक हड़ताल पर थे। ब्रिटिश संग्रहालय के मज़दूर 6 से 12 अप्रैल तक हड़ताल पर थे। वे अपने वेतन में वृद्धि और काम करने की बेहतर हालतों को मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं।

हीथ्रो हवाई अड्डे के मज़दूर

हीथ्रो एयरपोर्ट के 1,400 से अधिक सुरक्षा गार्ड यूनाइट यूनियन के बैनर तले 31 मार्च से 9 अप्रैल तक हड़ताल पर थे।

हड़ताल के कारण ईस्टर अवकाश के दौरान, हवाई अड्डे की सेवाओं में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। जिसके लिए मज़दूरों ने सरकार को ज़िम्मेदार और दोषी ठहराया है, क्योंकि सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले मज़दूरों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था।

जर्मनी के मज़दूरों ने बड़ी–बड़ी हड़तालें कीं

जर्मनी में मज़दूर इस साल के मार्च और अप्रैल में, बेहतर जीवन स्तर और काम करने की बेहतर स्थिति के लिए, बड़े पैमाने पर हड़तालों का आयोजन करते रहे हैं। हड़ताल की कुछ कार्रवाइयों को कई दशकों में, अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाई बताया जा रहा है।

विशेष रूप से यूक्रेन में युद्ध के बाद से ऊर्जा और खाद्य क़ीमतों में बढ़ोतरी के कारण 2022 के बाद, मज़दूर विरोध प्रदर्शनों में सड़कों पर उतरे हैं। वर्तमान में जर्मनी में 10.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को देखते हुए, मज़दूर जीवन यापन के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने वेतनों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

ई.वी.जी. यूनियन, जो राष्ट्रीय रेलवे डोयचह बान के लगभग 1,80,000 मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करती है। उसने 20 अप्रैल को एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया, जिसकी वजह से देशभर की रेल सेवाएं ठप्प हो गईं। रेल मज़दूरों की कार्यवाई के साथ ही वेहदी यूनियन के हवाई अड्डे के मज़दूरों द्वारा जर्मन के चार हवाई अड्डों – डसेलडोर्फ, हैम्बर्ग, कोलोन बॉन और स्टुटगार्ट में वॉकआउट की कार्रवाई का आयोजन किया।

इससे पहले पूरे जर्मनी में हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे, बसों, फेरी और मेट्रो लाइनों

पर हजारों मज़दूरों द्वारा की गई एक दिन की हड़ताल के कारण 27 मार्च को जर्मनी का अधिकांश हवाई यातायात, रेल सेवा और यात्री लाइनें ठप्प हो गईं। पिछले 30 वर्षों में इसे स्थानीय, राष्ट्रीय और हवाई परिवहन क्षेत्रों में आयोजित की गई सबसे बड़ी संयुक्त हड़ताल की कार्रवाई माना जा रहा है।

वेहदी यूनियन के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के मज़दूर, जिनमें 25 लाख सिविल सेवा मज़दूर और नगरपालिका मज़दूर शामिल हैं, इस साल की शुरुआत में वेतन में 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। उन्होंने ट्रेनी छात्रों, इंटर्न्स और प्रशिक्षुओं के लिए मासिक वेतन में वृद्धि के साथ–साथ प्रशिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद स्थायी रोज़गार देने की मांग की है।

9 मार्च को, आई.जी.बी.सी.ई. ट्रेड यूनियन में संगठित औद्योगिक मज़दूरों ने कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार और औद्योगिक बिजली की दर में कमी करने की मांग करते हुए एक दिन का विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन के आई.जी. मेटल ने अपने मज़दूरों के लिए 8 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग की है।

3 मार्च को स्थानीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाले मज़दूर हड़ताल पर चले गए थे।

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नर्सरी, किंडरगार्टन और सामाजिक सेवाओं में बच्चों की देखभाल करने वाले मज़दूरों ने देशभर में काम बंद कर दिया था। नगर निगम के मज़दूर जो कचरा इकट्ठा करते हैं, वन मज़दूर, हवाई अड्डों में सुरक्षा गार्ड और सांस्कृतिक मज़दूर सभी मार्च में हड़ताल पर चले गए थे।

मार्च की शुरुआत में 1,60,000 डाक मज़दूरों ने मुद्रास्फीति का मुक़ाबला करने के लिए 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग करते हुए, अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी। इस साल जनवरी और फरवरी में डाक मज़दूरों ने कई विरोध प्रदर्शन किए थे। अपने संघर्ष के परिणामस्वरूप उन्होंने वेतन में 11 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है।

प्रदर्शनकारी मज़दूरों ने नाटो की युद्ध योजनाओं में अपनी सरकार की भागीदारी और इसके भारी सैन्य खर्च का विरोध किया, जिससे मज़दूरों की ज़रूरतों में कटौती हुई। उन्होंने सरकार द्वारा भारी युद्ध खर्च को समाप्त करने की मांग की और इन कठिन परिस्थितियों में मज़दूरों को राहत प्रदान करने के लिए और अधिक सरकारी संसाधनों का प्रयोग करने का आह्वान किया।

http://hindi.cgpi.org/23402

सरकार द्वारा थोपे जा रहे पेंशन सुधारों का फ्रांस के मज़दूरों ने विरोध किया

फ्रांस में इस साल जनवरी से ही बड़े पैमाने पर मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 19 जनवरी, 2023 को पूरे फ्रांस में हुई एक दिवसीय हड़ताल में दस लाख से अधिक मज़दूरों ने हिस्सा लिया। तब से अब तक सैकड़ों प्रदर्शन हो चुके हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले मज़दूरों की संख्या पिछले 40–50 वर्षों में देखी गई संख्या से कहीं अधिक बताई जा रही है।

मज़दूर, पेंशन सुधारों को लागू करने के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा लाये गये नए विधेयक का विरोध कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 की जा रही है। इसे हर साल 3 महीने बढ़ाकर, 2030 तक हासिल किया जाएगा। पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए मज़दूरों को अब 42 वर्ष की बजाय 43 वर्ष नौकरी करनी होगी।

देश के चार प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) टर्मिनलों में से तीन में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों ने मार्च में सप्ताह भर की हड़ताल की थी। रिफाइनरी के मज़दूर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। परमाणु, पनबिजली और ताप–बिजली संयंत्रों में मज़दूरों की हड़ताल के कारण बिजली उत्पादन में 5,000 मेगावाट की गिरावट आई है, जो पांच परमाणु रिएक्टरों के बंद होने के बराबर है। हड़ताल पर गए मज़दूरों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए, फ्रांस के श्रम मंत्री के आवास का बिजली–कनेक्शन काट दिया, क्योंकि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया था।

एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों ने कई बार हड़ताल की हैं, जिससे देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों – पेरिस चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट, पेरिस ओरली, बोवै, बोर्दो, लील,

ल्योन, नॉन्ट, मासे, मौंटपीलियर, नीस और टुलूज़ जैसे कई हवाई अड्डों पर, 20 से 30 प्रतिशत उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं।

जन–परिवहन कर्मचारी और रेल कर्मचारी, ट्रक चालक और अन्य परिवहन कर्मचारी बार–बार हड़ताल पर जा रहे हैं। इन हड़तालों की वजह से न केवल फ्रांस के भीतर, बल्कि फ्रांस से जर्मनी और स्पेन तक जाने वाली कई हाई–स्पीड ट्रेन–सेवाओं को रद्द करने को मजबूर होना पड़ा है। हड़ताली कर्मचारियों द्वारा मेट्रो ट्रेन सेवाओं और ट्राम लाइनों को भी बंद कर दिया गया है।

विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े मज़दूर भी हड़ताल पर हैं, जिनमें शामिल हैं – ऑटो निर्माता स्टेलेंटिस और रेनों के कर्मचारी और ऑटो पार्ट्स सप्लायर वेलिओ, विमान निर्माता

कंपनी एयरबस, इंजन निर्माता सेफ्रन और सें–नाज़ेर में नौसैनिक डॉकयार्ड के मज़दूर भी। अन्य मज़दूर जो अपने वेतन को बढ़ाने और नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, उनमें मांस–पैक करने वाले, कचरा उठाने वाले, सीवर कर्मचारी और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़े मज़दूर शामिल हैं।

पुलिस ने कई विरोध–प्रदर्शनों पर हमला किया है और यहां तक कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर–बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है।

मज़दूरों के इतने बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध के कारण, मैक्रॉन सरकार ने अपने पेंशन सुधारों के विधेयक को पारित करने के लिए विशेष शक्तियों (स्पेशल पावर्स) का इस्तेमाल किया है। 16 मार्च को राष्ट्रपति मैक्रॉन ने फ्रांस के संविधान के एक विशेष प्रावधान का इस्तेमाल किया, जो विधायिका को पूरी तरह से बाईपास करने की अनुमति सरकारों को देता है, और संसद के माध्यम से बिना वोट किये विधेयक को पारित करने की इज़ाज़त देता है।

इससे सरकार की काफी किरकिरी हुई है। इस अनुभव ने हड़ताल पर गये मज़दूरों को भी इस कड़वी सच्चाई से स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि फ्रांस के लोग देश का एजेंडा नहीं तय करते हैं और न ही उनके पास अपनी चिंता के मसलों पर निर्णय लेने की शक्ति है, बल्कि शासक पूंजीपति वर्ग ही है, जिसके पास निर्णय लेने की ताक़त है।

आने वाले हफ़्तों में कई बड़े विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की गई है, क्योंकि मज़दूर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़–संकल्प हैं।

http://hindi.cgpi.org/23379

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 May, 2023, Date of publish - 1 May, 2023

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

काम के दिन को 12 घंटे करने के प्रस्ताव का भारी विरोध

पृष्ठ 1 का शेष

अनुमति राज्य सरकार को देता है। जिसमें शामिल हैं – साप्ताहिक अवकाश, दैनिक काम के घंटे, आराम के लिए अवकाश, अंतराल सहित दैनिक काम के घंटे और ओवरटाइम करने के लिए मज़दूरी आदि। संशोधित क़ानून मज़दूरों के काम के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अनुमति फैक्ट्री मालिकों को देगा। कारख़ाने के मालिक, पहले के अधिकतम 75 घंटे के प्रावधान की तुलना में, इस संशोधन के द्वारा तीन महीने की अवधि में 145 घंटे तक अधिक घंटे का ओवरटाइम कराने में सक्षम होंगे। यह संशोधन महिलाओं से रात की पाली में काम करवाने के लिए, फैक्ट्री मालिकों को सक्षम बनाएगा।

सरकार पूंजीपतियों की मांग पूरी कर रही है

इस संशोधन का उद्देश्य है हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीपतियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना, ताकि काम के घंटे और काम की परिस्थितियों में लचीलेपन की अनुमति मिल सके, जिससे मज़दूरों के शोषण की सीमा को अधिकतम किया जा सके। उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के पूंजीपति मांग कर रहे हैं कि सरकार को कार्य–दिवस की अवधि (प्रतिदिन काम करने की अवधि) को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर देना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने यह कह कर, इस संशोधन को सही ठहराया है कि "यह बड़े निवेश को आकर्षित करेगा और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करेगा", ख़ासकर नौजवानों के लिए। सरकार का दावा है कि यह संशोधन, वैश्विक बाज़ार में चीन के एक वैकल्पिक आपूर्ति–श्रृंखला (सप्लाई–चेन) के रूप में तमिलनाडु को उभरने में सक्षम करेगा। यह संशोधन, हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीपतियों को आश्वस्त कर रहा है कि यह उनके मुनाफ़ों को बढ़ाने और वैश्विक बाज़ारों में उनकी जगह का विस्तार करने के लिए, अत्यधिक शोषणकारी हालातों में सस्ते और कुशल श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

तमिलनाडु हाल के वर्षों में, हिन्दोतानी और विदेशी, दोनों की, प्रमुख विनिर्माण कंपनियों के केंद्र के रूप में उभरा है। इसने वैश्विक इजारेदारों से अरबों डॉलर के निवेश को आकर्षित किया है। तमिलनाडु सबसे अधिक औद्योगीकृत राज्यों में से एक है तथा यहां पर देश में औद्योगिक मज़दूरों की संख्या सबसे अधिक है। ऑटोमोबाइल, वस्त्र उद्योग और फुटवियर क्षेत्र में राज्य का हिस्सा, इन श्रेणियों में देश के कुल निर्यात का क्रमशः 37.6 प्रतिशत, 30.8 प्रतिशत और 46.4 प्रतिशत है।

अब तमिलनाडु में 16 शीर्ष–इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं की इकाइयां हैं, जिनमें नोकिया, सैमसंग, फ्लेक्स, डेल, मोटोरोला, सल्कोम्प, एचपी आदि जैसे वैश्विक–दिग्गज शामिल हैं और इस सूची में हाल ही में प्रवेश करने वालों में फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन हैं, जिनके पास प्रीमियम एप्पल फोन को असेंबल करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा बताया जा रहा है कि इनमें से कई कंपनियां इस तरह के संशोधन की ज़ोरदार पैरवी कर रही हैं।

पूंजीपतियों के संगठनों ने इन संशोधन की प्रशंसा की है

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष ने कहा है कि 'लचीले (फ्लेक्सिबल) काम के घंटों के लिए वैधानिक प्रावधान राज्य और मज़दूरों, विशेष रूप से महिला मज़दूरों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए कई फ़ायदेमंद साबित होता है'। ग़ौर करने की ज़रूरत है कि जिस बात की सराहना की जा रही है, वह है मज़दूरों के अधिक शोषण और पूंजीपतियों के लिए अधिक मुनाफ़े की संभावनाएं।

तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (टी.ई.ए.) के अध्यक्ष ने क़ानून में बदलाव के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिससे निर्यातक कंपनियों को क़ानूनी रूप से मज़दूरों का शोषण बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि तिरुपुर निटवेअर गार्मेंट एक्सपोर्ट उद्योग की मौसम पर आधारित मांग को देखते हुए, यह संशोधन कारख़ाने के मालिकों को अधिक से अधिक अपूर्ति योजना को पूरा करने के लिए सबसे अधिक मांग की अवधि के दौरान मज़दूरों से अधिक ओवरटाइम करवाने में सक्षम करेगा। मांग की कमी की अवधि में, मज़दूरों के कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त किया जा सकता है, जिससे पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को सुनिश्चित किया जा सके।

मज़दूरों की यूनियनें कारख़ाना अधिनियम में संशोधन का विरोध कर रही हैं

मज़दूरों और उनकी यूनियनों ने कारख़ाना अधिनियम, 1948 में किये गये संशोधनों को पारित करने पर बड़े पैमाने पर अपना विरोध व्यक्त किया है। 23 अप्रैल को हुई ट्रेड

यूनियनों की एक बैठक में, उन्होंने इस तरह के प्रतिगामी क़ानून को लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार की निंदा की, जिसे लागू करने में केंद्र सरकार को मुश्किल हो रही थी। उन्होंने बताया कि यह संशोधन, खुले तौर पर पूंजीपतियों के हितों का समर्थन करता है और मज़दूरों के अधिकारों पर हमला करता है।

ट्रेड यूनियनों ने इन संशोधनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला की घोषणा की जिसका समापन 9 मई को जिला मुख्यालयों पर आंदोलन और 12 मई को कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल में होगा। एटक, सीटू, हिन्द मजदूर सभा, इंटक, ए.आई.यू.टी.यू.सी., ए.आई.सी.सी.टी.यू. सहित नौ ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, वर्किंग पीपल्स काउंसिल, एम.एल.एफ. और एल.एल.एफ. ने एक संयुक्त बयान जारी करके घोषणा की कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों के मज़दूरों की सभी यूनियनें इस आंदोलन में भाग लेंगी।

इस बयान में प्रतिदिन काम करने के 8 घंटे के अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए मज़दूरों के बहादुर संघर्ष के इतिहास को याद किया गया है। इसने मज़दूरों को याद दिलाया कि प्रतिदिन काम करने की 8 घंटे की सीमा 1936 में पुद्दुचेरी में और 1947 में पूरे देश में लागू की गई थी। बयान में कहा गया है, "आठ घंटे प्रतिदिन काम करने की अवधि को हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन और खून का बलिदान करके जीता था", और बयान में अंत में कहा गया है कि इस अधिकार की रक्षा करना मज़दूर वर्ग का कर्तव्य है।

महिला मज़दूर यूनियन ने कारख़ाना अधिनियम में संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग की है

चेन्नई शहर के मध्य में स्थित प्रसिद्ध मई दिवस पार्क में, महिला मज़दूरों ने कारख़ाना अधिनियम में संशोधन के ख़िलाफ़, काफी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने महिला मज़दूर यूनियन के बैनर तले आंदोलन किया। सैकड़ों कपड़ा मज़दूरों और घरेलू मज़दूरों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

आंदोलनकारी महिलाओं ने बताया कि फैक्ट्रियों में 8 घंटे की शिफ्ट होने के बावजूद भी, आने–जाने के समय को मिलाकर, वे अभी भी 12 घंटे से अधिक समय तक घर से बाहर बिताती हैं। अगर उन्हें 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़े, तो वे सोच भी नहीं सकतीं कि वे घर कब और कैसे जाएंगी और अगले दिन वापस फिर से काम पर कैसे आएंगी! उन्हें न तो आराम मिल पाएगा और न ही वे अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगी। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली कई महिलाओं ने अपनी यह आशंका भी व्यक्त की कि यह संशोधन, महिलाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए बाहर आने से रोकेगा और उन्हें अपने घरों की चार दीवारी में वापस धकेल देगा।

काम करने वाली महिलाओं ने पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मज़दूरों के अधिक शोषण को बढ़ावा देने के प्रयास का विरोध किया। उन्होंने मांग की कि संशोधन को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

कर्नाटक सरकार ने भी मज़दूरों के अधिकारों पर हमला करने वाला इसी तरह का एक संशोधन पारित किया है

बमुश्किल दो महीने पहले, 24 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने 1948 के कारख़ाना अधिनियम में एक इसी तरह के संशोधन को पारित किया है, जिसे कारख़ाना (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2023 नाम दिया गया है। इस संशोधन के ज़रिये, अब मज़दूरों के काम के घंटों को बढ़ाने की अनुमति कंपनियों को दी जाएगी। मज़दूरों से दिन में 12 घंटे तक काम करवाना, ओवरटाइम को तीन महीने में 75 घंटे से बढ़ाकर 145 घंटे करना और महिलाओं को रात की पाली में काम करने के लिए मजबूर करना, कंपनी मालिकों के लिये संभव होगा।

इस विधेयक को बहस के बिना ही विधानसभा में पारित कर दिया गया था। हालांकि विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी, जे.डी.एस. और यहां तक कि भाजपा के एक सदस्य ने भी इसका विरोध किया था और इन सभी ने वॉकआउट किया था।

मज़दूर वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को जारी रखना होगा

जबकि तमिलनाडु में मज़दूरों का जुझारू विरोध, सरकार को इस मज़दूर–विरोधी संशोधन को लागू करने पर रोक लगाने के लिए मजबूर करने में सफल रहा है। परन्तु हक़ीक़त तो यह है कि संशोधन को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। मज़दूरों को इस हक़ीक़त के बारे में सतर्क रहना होगा कि, सरकार इन संशोधनों को अन्य विविध तरीक़ों से लागू करने की कोशिश करेगी। संशोधन पर रोक का, किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि सरकार ने अपना मक़सद बदल दिया है। सरकार का मक़सद अभी भी यही है कि मज़दूरों के बढ़ते शोषण से हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीपतियों को बड़ा मुनाफ़ा कमाने में सक्षम बनाना।

मज़दूर, संसदीय विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों में विश्वास रखने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, ये सभी पार्टियां एक ही पूंजीपति शासक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सत्ताधारी पार्टी जब भी कोई जन–विरोधी क़ानून लाती है तो ये पार्टियां सदन से वॉकआउट करने या कार्यवाही में व्यवधान पैदा करके बाहर निकाले जाने के अपने आजमाए हुए तरीक़ों को अपनाती हैं। इस प्रकार वे, सत्ताधारी पार्टी को विधेयक को पारित कराने के लिए बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने में सक्षम बनाती हैं।

मज़दूरों को अपने राजनीतिक और ट्रेड यूनियनों के मतभेदों को दरकिनार करते हुये, अपने अधिकारों की हिफ़ाज़त में किये जा रहे संघर्षों में एकता मजबूत करनी होगी।

http://hindi.cgpi.org/23410